**भारत सरकार**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 2764**

**बुधवार, दिनांक 05 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने हेतु**

**घरेलू बिजली खपत पर पीएम-एसजीएमबीवाई का प्रभाव**

**2764. सुश्री एस. जोतिमणि:**

**क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ़्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के आरंभ से इस योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों, पूर्ण रूफटॉप सोलर संस्थापनाओं, जोड़ी गई क्षमता तथा स्वीकृत और संवितरित केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) सहित हुई प्रगति का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रूफटॉप सोलर प्रणालियों के प्रति जागरूकता में सुधार लाने, कार्यान्वयन को सरल बनाने और अपनाने को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों तथा डिस्कॉम के साथ मिलकर कोई रणनीति तैयार की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना के कार्यान्वयन की निगरानी करने, बाधाओं की पहचान करने तथा इसके विस्तार एवं प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकारों और डिस्कॉम के साथ एक आवधिक समीक्षा तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने घरेलू बिजली की खपत, व्यय में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और डिस्कॉम की वित्तीय स्थिति पर इस योजना के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) क्या सरकार का कम कवरेज वाले राज्यों में रूफटॉप सोलर को अपनाने की गति को तेज करने के लिए कोई जिला-विशेष या लक्षित कार्यान्वयन रणनीति अपनाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री**

**(श्री श्रीपाद येसो नाईक)**

(क) से (ङ): पीएम सूर्य घर: मुफ़्त बिजली योजना (पीएमजी: एमबीवाई) फरवरी 2024 में शुरू की गई एक मांग-संचालित योजना है, जिसमें देश में सभी आवासीय उपभोक्ता, जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम के साथ ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल (www.pmsuryaghar.gov.in) पर आवेदन करके, आरटीएस सिस्टम की स्थापना करवाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

इस योजना के तहत, फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत से, कुल 76,81,382 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 14,653.23 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली 41,19,791 रूफटॉप सौर प्रणालियों (आरटीएस) की

स्थापना की गई हैं, जिससे 49,62,050 परिवार लाभान्वित हुए हैं और दिनांक 31.07.2026 की स्थिति के अनुसार देश भर में केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 27,855.99 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

जागरूकता में सुधार लाने, कार्यान्वयन को सरल बनाने और योजना के तहत रूफटॉप सौर प्रणाली को अपनाने में वृद्धि करने के लिए राज्यों/डिस्कॉमों के समन्वय में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन, टी.वी. विज्ञापन अभियानों, एफएम स्टेशनों सहित क्षेत्रीय चैनलों पर रेडियो अभियानों आदि के माध्यम से देश में जागरुकता और आउटरीच कार्यक्रम द्वारा योजना के बारे में जागरुकता पैदा की जा रही है।
- तकनीकी व्यवहार्यता आवश्यकता को माफ करके और 10 किलोवाट तक ऑटो लोड वृद्धि की शुरुआत करके विनियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- नेट मीटरिंग करार को राष्ट्रीय पोर्टल में आवेदन का हिस्सा बनाया गया है, जिससे एक अलग करार पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है।
- राष्ट्रीय पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण से लेकर आवासीय उपभोक्ता के बैंक खाते में सब्सिडी के सीधे वितरण तक की ऑनलाइन प्रक्रिया।
- वेंडरों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है ताकि पर्याप्त और योग्य वेंडर उपलब्ध हो सकें।
- कुशल मेनपावर तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण (कैपेसिटी बिल्डिंग) और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
- शिकायतों के समयबद्ध तरीके से समाधान के लिए शिकायत समाधान तंत्र स्थापित किया गया है। टेलीफोन नंबर 15555 वाला कॉल सेंटर 12 भाषाओं में कार्यरत है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के कार्यान्वयन की राज्यों/डिस्कॉम सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, समय-समय पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं। इसके अलावा, एमएनआरई और आरईसी लिमिटेड, पीएमएसजी: एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी (एनपीआईए) के रूप में, योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी डिस्कॉम के साथ निकट समन्वय में कार्य करते हैं।

समीक्षा बैठकों में राज्यों/जिलों में कम कवरेज के कारणों का भी मूल्यांकन किया जाता है और राज्यों/डिस्कॉमों को बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों/जिलों द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम गतिविधियों के आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है।

जबकि इस योजना के तहत आरटीएस स्थापित करने वाले उपभोक्ताओं के बिजली बिलों में काफी हद तक कमी आई है, डिस्कॉमों ने सूचित किया है कि ग्रामीण परिवार सहित देश भर में 18.93 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को आरटीएस प्रणाली की स्थापना करवाने के पश्चात, बिजली की अपनी खपत के आधार पर, किसी न किसी महीने या बिलिंग अवधि में शून्य बिजली बिल प्राप्त हुआ है।

**अनुलग्नक-I**

**'घरेलू बिजली खपत पर पीएम-एसजीएमबीवाई का प्रभाव' के संबंध में पूछे गए दिनांक 05.08.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 2764 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक**

**देश भर में PMSG: MBY के तहत हुई प्रगति का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण (31.07.2026 तक)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आवेदन (संख्या) | स्थापनाएँ (संख्या) | शामिल किए गए परिवार (संख्या) | संस्थापित क्षमता मेगावाट में | जारी सब्सिडी (करोड़ रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | गुजरात | 1171567 | 773369 | 1117773 | 2897.64 | 5623.58 |
| 2 | महाराष्ट्र | 1450141 | 702461 | 1091035 | 2576.93 | 5065.29 |
| 3 | उत्तर प्रदेश | 1170693 | 715951 | 723615 | 2411.90 | 4728.24 |
| 4 | केरलम् | 421734 | 310544 | 317390 | 1203.02 | 2073.80 |
| 5 | राजस्थान | 455535 | 277861 | 286975 | 1075.41 | 1845.12 |
| 6 | आंध्र प्रदेश | 904508 | 266417 | 270932 | 814.09 | 1512.61 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 224600 | 158323 | 163708 | 592.56 | 1115.15 |
| 8 | असम | 441052 | 162688 | 163269 | 536.03 | 1166.59 |
| 9 | ओडिशा | 299481 | 153684 | 154776 | 373.65 | 719.23 |
| 10 | हरियाणा | 193038 | 117135 | 127065 | 384.96 | 741.13 |
| 11 | तमिलनाडु | 105040 | 87039 | 103004 | 315.97 | 583.61 |
| 12 | उत्तराखंड | 142028 | 97219 | 97583 | 350.06 | 751.44 |
| 13 | छत्तीसगढ | 193312 | 84677 | 87171 | 303.17 | 512.52 |
| 14 | तेलंगाना | 86897 | 55596 | 71367 | 204.90 | 331.81 |
| 15 | जम्मू और कश्मीर | 86287 | 39415 | 39568 | 141.16 | 299.30 |
| 16 | कर्नाटक | 56257 | 23185 | 35683 | 94.68 | 165.18 |
| 17 | बिहार | 90328 | 24774 | 25416 | 89.64 | 163.09 |
| 18 | पंजाब | 26904 | 17487 | 17496 | 78.18 | 112.62 |
| 19 | राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली | 53987 | 10748 | 15729 | 47.59 | 72.48 |
| 20 | हिमाचल प्रदेश | 17352 | 11992 | 12025 | 41.11 | 87.00 |
| 21 | मेघालय | 1008 | 61 | 9307 | 0.19 | 0.33 |
| 22 | पुदुचेरी | 6532 | 4873 | 4950 | 17.38 | 31.57 |
| 23 | गोवा | 4567 | 3386 | 4627 | 27.90 | 22.76 |
| 24 | त्रिपुरा | 7922 | 4519 | 4531 | 15.50 | 32.79 |
| 25 | पश्चिम बंगाल | 44524 | 3403 | 3818 | 11.37 | 9.93 |
| 26 | झारखंड | 10376 | 3331 | 3561 | 14.05 | 21.62 |
| 27 | लद्दाख | 2647 | 2050 | 2050 | 6.78 | 15.21 |
| 28 | मणिपुर | 3307 | 1571 | 1571 | 6.07 | 11.48 |
| 29 | चंडीगढ़ | 1632 | 1386 | 1386 | 5.71 | 8.39 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | मिजोरम | 1509 | 1367 | 1370 | 5.53 | 10.64 |
| 31 | लक्षद्वीप | 1394 | 1199 | 1199 | 4.01 | 9.88 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव | 3422 | 1156 | 1156 | 3.02 | 5.58 |
| 33 | नगालैंड | 889 | 449 | 449 | 1.51 | 2.96 |
| 34 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 677 | 415 | 435 | 1.36 | 2.66 |
| 35 | सिक्किम | 158 | 59 | 59 | 0.19 | 0.38 |
| 36 | अरुणाचल प्रदेश | 77 | 1 | 1 | 0.00 | 0.01 |
| | **कुल** | **76,81,382** | **41,19,791** | **49,62,050** | **14,653.23** | **27,855.99** |

****